न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 85/2026 राजस्व वाद

01.मादुलाल गुर्जर पुत्र श्रीभोलारामगुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
––वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादपत्र बाबत घौषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0टि0एक्ट

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 26.05.2026

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद निम्बाहेड़ा जाटान पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 61 मे आराजी नम्बर 845, 846, 847, 849,850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 कुल किता 13 रकबा 2.4913 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादी का बोलता नाम माधु लाल गुर्जर है, बल्कि वादी के सभी सरकारी दस्तावेज व आधार कार्ड मे मादु लाल गुर्जर अंकित है। भोलाराम गुर्जर के मादु लाल एवं माधु लाल गुर्जर नाम का अलग लड़का नही था व मादु लाल एवं माधु लाल गुर्जर दोनो एक ही होकर वादी ही है । लेकिन उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का बोलता नाम माधु लाल गुर्जर अंकित हो गया है। जिससे वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है व सरकारी सुख सुविधाओ से वंचित हो रहा है। भोलाराम गुर्जर के मादु लाल गुर्जर एंव माधु लाल गुर्जर नाम के अलग लड़के नही होकर वादी ही मादु लाल व माधु लाल है। वादी को दिनांक 28 अठाईश अप्रेल 2026 दो हजार छब्बीस को पटवार हल्का के पास जाने पर वादी का नाम माधु लाल के बजाय मादु लाल दर्ज होने की जानकारी हुई। ग्राम पंचायत चिताम्बा द्वारा भी प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमे भी वादी ही मादु लाल एवं माधु लाल होने व नाम दुरूस्त कराया जाना उचित माना है। इस पर वादी प्रतिवादी के समक्ष कई बार उपस्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04 चार मई 2026 दो हजार छब्बीस को प्रतिवादी के पास जाने व दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी साफ तौर इंकार हो गया व प्रतिवादी द्वारा वादी को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम मादु लाल के बजाय माधु लाल दर्ज होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। इस कारण से वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम माधु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोलाराम गुर्जर के बजाय मादु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोलाराम गुर्जर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी कियये गये। वादी द्वारा ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र व स्वयं का शपथपत्र व दस्तावेजात पेश किये गये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज राजस्व अभिलेख मे माधु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोलाराम गुर्जर के बजाय मादु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोला राम गुर्जर अंकित कराये जाने व दुरूस्ती करने हेतु हेतु निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे भी मादु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोला राम गुर्जर है व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार भी माधु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोलाराम गुर्जर एवं मादु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोलाराम गुर्जर दोनो एक ही है। अतः वादी का नाम माधु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोला राम गुर्जर के बजाय मादु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोला राम गुर्जर दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त नाम दुरूस्त होने पर भविष्य मे होने वाले सभी प्रभावो के लिए वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद निम्बाहेड़ा जाटान पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 61 मे आराजी नम्बर 845, 846, 847, 849,850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 कुल किता 13 रकबा 2.4913 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम माधु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोला राम गुर्जर के बजाय मादु लाल गुर्जर पुत्र श्री भोला राम गुर्जर दुरूस्त कराया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)